

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
मु0नं0-135/2015

उनवान -सरकार बनाम रामअवतार पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत
कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011



निर्णय

दिनांक -19.02.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री रामअवतार पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.05.2015 को बाड़ी रोड जिला परिषद के पास धौलपुर पर दूध विक्रेताओं की चेंकिंग के दौरान दूध विक्रेता को रोक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा मोटर साईकिल नम्बर आर जे 11 एसडी 8725 पर बंधी प्लास्टिक की कैन में रखे करीब 35 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। अभियुक्त से मिश्रित दूध विक्रय का खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2015 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त 35 लीटर दूध में से 2 लीटर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी-826 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/488/एसीटी/2015/492 दिनांक 09.06.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त/अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 10.02.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय वहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को वहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका वहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/488/एसीटी/2015/492 दिनांक 09.06.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभाँति सिद्ध होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैंडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री रामअवतार पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1000/-रुपये (एक हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर

कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। अनियुक्त/अप्रार्थी श्री रामअवतार पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम निभि पंचायत कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर से उक्त जुर्माना राशि 1000/-रु० भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली हेतु तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर को लिखा जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेंद्र के वर्मा)
न्याय निभ पंचायत अधिकाधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला अधिकारी
धौलपुर (राज.)